भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 68

दिनांक 02 **दिसंबर**, 2021

पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के आबंटन में आरक्षण

*68. **श्री चिराग कुमार पासवान**:
श्रीमती केशरी देवी पटेल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऐसी श्रेणियों/व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के आबंटन में आरक्षण या विशेष रियायत प्रदान की जा रही है;

(ख) विशेष रियायत के अंतर्गत इन श्रेणियों/व्यक्तियों हेतु पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी के आबंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जमुई जिले सहित बिहार में और प्रयागराज जिले सहित उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की मात्रा की जांच करने हेतु कोई निरीक्षण दल है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) निरीक्षण की तिथियों सहित ऐसे पेट्रोल पंपों का ब्यौरा क्या है जहां पर निरीक्षण किए गए हैं; और

(च) किन पेट्रोल पंपों पर मात्रा और गुणवत्ता में अंतर पाया गया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

(**श्री हरदीप सिंह पुरी**)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के आबंटन में आरक्षण'' के संबंध में संसद सदस्य श्री चिराग कुमार पासवान और श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा पूछे गए दिनांक 02.12.2021 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 68 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने दिनांक 24.11.2018 से खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए नए ''डीलरशिप चयन संबंधी दिशा-निर्देशों'' और दिनांक 23.06.2016 से ''एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के चयन हेतु एकीकृत दिशा-निर्देश'' को कार्यान्वित कर दिया है। इन दोनों दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के आबंटन में अनु.जाति/अनु.जन जाति के लिए 22.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। अनु.जाति/अनु.जन जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य श्रेणियों के भीतर रक्षा कार्मिकों, अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों/केंद्रीय /राज्य सरकार और केंद्रीय /राज्य पीएसयू कर्मचारियों, दिव्यांग व्यक्तियों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी आरक्षण है।

देश में खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप्स के आबंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया/मानदंड/आरक्षण नीति सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) की संबंधित वैबसाइटों अर्थात www.iocl.com, www.bharatpetroleum.com और www.hindustanpetroleum.com पर उपलब्ध हैं। विस्तृत दिशा निर्देश नामत: ''एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के चयन हेतु एकीकृत दिशा निर्देश'' वेबसाइट www.lpgvitarakchayan.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) से (च): पूरे देश में सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों के नियमित/औचक निरीक्षण किए जाते हैं। वर्ष 2020-21 और अप्रैल-सितंबर 2021 के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में किए गए निरीक्षणों तथा निरीक्षणों के दौरान पता लगाए गए मिलावट के संदिग्ध मामलों (गुणवत्ता के मुद्दों) तथा कम डिलीवरी (मात्रा) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

विवरण	किए गए निरीक्षणों की संख्या			पता लगाए गए गुणवत्ता के मुद्दों से संबंधित संदिग्ध मामलों की संख्या			पता लगाए गए कम डिलीवरी (गुणवत्ता संबंधी मुद्दों) के मामलों की संख्या		
	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल
बिहार	6403	2559	2191	4	0	1	5	0	4
उत्तर प्रदेश	14416	6879	8159	1	0	1	114	26	7
योग	20819	9438	10350	5	0	2	119	26	11
ओएमसीज	**40607**			**7**			**156**		
जमुई जिला	86	23	36	0	0	0	0	0	0
ओएमसीज	**145**			**0**			**0**		
प्रयागराज जिला	236	183	372	0	0	0	3	11	0
ओएमसीज	**791**			**0**			**14**		

गुणवत्ता और मात्रा मुद्दों से संबंधित पता लगाए गए अनियमितताओं के उपर्युक्त सभी मामलों में संबंधित ओएमसी द्वारा प्रक्रिया/दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई शुरू की गई है/की गई है।

****